भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय अधिकारिता

दीवानी अपील सं 2016 का 1627

राम बालक सिंह **.....अपीलार्थी**

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य **.....प्रत्यर्थी**

बिहार समेकन और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956-धारा 10 (बी), 37-वाद भूमि पर अधिकार और स्वामित्व की घोषणा-समेकन प्राधिकरण ने वाद भूमि पर वादी-अपीलार्थी के स्वामित्व और कब्जे की पुष्टि की और समेकन अधिनियम की धारा 10 (बी) के तहत अधिकारों के अभिलेख में उसका नाम दर्ज करने का निर्देश दिया-बाद में, राज्य अधिकारियों ने वाद भूमि पर दावा करना शुरू कर दिया और कथित रूप से वादी-अपीलार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया-वाद भूमि पर अपना अधिकार घोषित करने के लिए अपीलार्थी के मुकदमे का फैसला उसके आदेश में किया गया था। लेकिन पहली अपीलीय अदालत द्वारा पक्ष लिया गया था और इसके फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था-आयोजित; समेकन अधिनियम की योजना में प्रावधान है कि समेकन के तहत भूमि में सभी अधिकार, यदि कोई हों, तो समेकन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और इसके तहत अधिकारों के रजिस्टर का प्रकाशन अंतिम और निर्णायक होगा और बाद के किसी भी चरण में विवादित नहीं किया जा सकता है-समेकन प्राधिकरणों के पास मानित न्यायालयों का दर्जा होता है और उनके पास समेकन के तहत भूमि पर पक्षों के अधिकारों और स्वामित्व का फैसला करने के लिए दीवानी न्यायालयों के समान शक्तियां होती हैं और साथ ही, दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हटा दिया जाता है-हालांकि राजस्व प्रविष्टियां स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं और आम तौर पर भूमि में स्वामित्व प्रदान या समाप्त नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी, जहां राजस्व अधिकारी या समेकन अधिकारी दीवानी न्यायालयों की तरह शक्तियों का प्रयोग करके पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करने में सक्षम हैं, ऐसे अधिकारियों द्वारा किए गए किसी भी आदेश या प्रविष्टि का सम्मान किया जाना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए-भूमि के संबंध में अधिकारों की घोषणा के लिए दीवानी मुकदमा जहां समेकन न्यायालय पहले ही एक आदेश पारित कर चुका है कि किसी एक पक्ष के अधिकारों को मान्यता देना समेकन अधिनियम की धारा 37 द्वारा वर्जित नहीं है और यह कि दीवानी न्यायालय पारित आदेश की अनदेखी करने या उसे उलटने में सक्षम नहीं है। समेकन अधिकारी द्वारा एक बार जब यह अंतिमता प्राप्त कर लेता है-विवादित निर्णय और दरकिनार किए गए आदेश-अपील की अनुमति है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय अधिकारिता

दीवानी अपील सं 2016 का 1627

राम बालक सिंह **.....अपीलार्थी**

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य **.....प्रत्यर्थी**

निर्णय

पंकज मिट्ठल, न्यायालय

1. यह वादी की अपील है जो मुक़दमे की भूमि पर कब्जे और उसके कब्जे की पुष्टि के लिए एक मुक़दमे से उत्पन्न होती है जिसे पहली बार की अदालत द्वारा उसके पक्ष में फैसला सुनाया गया था, लेकिन डिक्री को पहली अपील में दरकिनार कर दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी।

2. मुकदमे में विवाद बिहार के सीतामढ़ी जिले के ग्राम किशनपुर में स्थित आर. एस. पी. सं.821 की 0.32 दशमलव भूमि के बारे में है। भूमि का यह क्षेत्र सी. एस. पी. सं. 332 का खाता सं. 196 से अलग किया गया था। जो पूर्व मकान मालिक रामवती कुवर का था।

3. उपरोक्त पूर्व जमींदार रामवती कुवर ने 1341 फसली के पट्टा विलेख (पट्टा) के माध्यम से स्वर्गीय राम गोविंद सिंह के पुत्र माखन सिंह के पक्ष में सूट भूमि के उपरोक्त क्षेत्र को बसाया, जिसके बाद उक्त माखन सिंह ने अपने जीवनकाल के दौरान इस पर कब्जा बनाए रखा। उक्त माखन सिंह के पास कोई मुकदमा नहीं था। यह आरोप लगाया जाता है कि उसने वादी-अपीलार्थी को गोद लिया था जिसने माखन सिंह के बाद मुकदमे की भूमि को विरासत में प्राप्त किया था। तदनुसार, वादी-अपीलकर्ता वर्तमान में मुकदमे की भूमि के कब्जे में है

जो उसके परिवार के कब्जे में थी जब से इसे पूर्व मकान मालिक रामवती कुवर द्वारा माखन सिंह के पक्ष में निपटाया गया था।

4. ऐसा हुआ कि ग्राम को बिहार समेकन और विखंडन निवारण अधिनियम, 1956[1] के अनुसार दृढ़ीकरण के अंतर्गत लाया गया।

5. चूँकि उपरोक्त भूमि राज्य के नाम पर गलत तरीके से दर्ज की गई थी, इसलिए वादी-अपीलार्थी समेकन अधिनियम की धारा 10(बी) के अनुसार राजस्व के सुधार/समेकन अभिलेखों के हेतु आवेदित किया। समेकन अधिकारी, बाथनाहा ने अपने दिनांकित 12.11.1979 आदेश के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने पर, अधिकारों के अभिलेख में सुधार के लिए निर्देश दिया। आर. एस. पी. सं.821 की भूमि के 32 दशमलव क्षेत्र के संबंध में वादी-अपीलार्थी का नाम दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त आदेश को विधिवत लागू किया गया था और वादी-अपीलार्थी का नाम अधिकारों के अभिलेख में दर्ज किया गया था। उपरोक्त आदेश अंतिम और निर्णायक है। इसे किसी भी पार्टी ने, यहां तक कि बिहार राज्य ने भी किसी उच्च मंच पर चुनौती नहीं दी थी।

6. इसके बाद, राज्य के अधिकारियों ने सी. एस. पी. सं.332 की 4 एकड़ 58 दशमलव की जमीन पर जलकर (तालाब की जमीन) के रूप में दावा करना शुरू कर दिया, जिसमें सूट की जमीन भी शामिल थी और इस तरह वादी-अपीलार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 80 द्वारा यथा अनुध्यात दिनांक 09.09.2004 के नोटिस की तामील के बाद वादी-अपीलार्थी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण मुकदमा सं. 103/2004 राम बालक सिंह, पुत्र-स्वर्गीय माखन सिंह बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य मुकदमा याचिका की अनुसूची-ए में वर्णित वाद भूमि पर अपना अधिकार घोषित करने और उस पर अपने कब्जे की पुष्टि करने के लिए किया।

7. उपरोक्त वाद ऊपर बताए गए आरोपों पर दायर किया गया था कि वाद भूमि पूर्व मकान मालिक रामवती कुवर की थी, जिन्होंने इसे 1341 फसली में माखन सिंह के पक्ष में निपटाया

था। वादी-अपीलकर्ता उक्त माखन सिंह का गोद लिया हुआ पुत्र है और इस प्रकार वह उक्त भूमि का उत्तराधिकारी बना। समेकन अधिनियम की धारा 10 (बी) के तहत याचिकाओं/उद्देश्यों पर समेकन कार्यवाही के दौरान, समेकन अधिकारी ने निर्णय और दिनांक 12.11.1979 के आदेश के माध्यम से वादी-अपीलार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया और उसका नाम अधिकारों के अभिलेख में दर्ज करने का निर्देश दिया जो अंतिम आदेश देता है और लागू किया गया है। इसलिए, वादी-अपीलार्थी के कब्जे वाली वाद भूमि पर राज्य का कोई अधिकार, स्वामित्व या अधिकार क्षेत्र नहीं है।

8. मुकदमे का समन राज्य के अधिकारियों को प्राप्त हुआ था, लेकिन कई अवसरों के बावजूद उनकी ओर से शिकायत के आरोपों का खंडन करने के लिए कोई लिखित बयान दायर नहीं किया गया था -अंत में 04.02.2006 को, राज्य के लिखित बयान दाखिल करने के अधिकार को बंद कर दिया गया और दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम X के तहत सुनवाई के लिए मुकदमा तय किया गया। चूँकि वादी के आरोप विरोधाभासी नहीं थे, इसलिए पक्षकारों के बीच निर्णय के लिए कोई मुद्दा नहीं उठा, कम से कम, निचली अदालत ने निर्णय का मुद्दा तैयार करने के बाद, यानी कि क्या वादी-अपीलकर्ता किसी भी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा मुकदमे पर अपना मामला गुण-दोष के आधार पर मुकदमे का फैसला करने के लिए आगे बढ़ा। मुकदमे का आदेश दिया गया था लेकिन डिक्री, जैसा कि पहले कहा गया था, पहली अपीलीय अदालत द्वारा प्रतिलोम की गई थी और इसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा रोका किया गया था।

9. वादी-अपीलकर्ता अब विशेष अनुमति याचिका दायर करके इस न्यायालय के समक्ष आया है, जिसे अनुमति मिलने पर दीवानी अपील के रूप में पंजीकृत किया गया है। हमने अपीलार्थी की विद्वान वकील सुश्री नंदादेवी डेका और उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री सुयश व्यास को सुना है।

10. वादी-अपीलार्थी की ओर से दिया गया प्राथमिक तर्क यह है कि वह या हित में उसका पूर्ववर्ती मुकदमा की भूमि के कब्जे में है। जब से यह पूर्व मकान मालिक रामवती कुवर द्वारा माखन सिंह के पक्ष में सुलह किए जाने के बाद से मुकदमा निष्पादित किया गया था। समेकन कार्यवाही के दौरान, उक्त भूमि पर वादी-अपीलार्थी के अधिकारों को स्वीकार कर लिया गया और दिनांकित 12.11.1979 के आदेश के अनुसार, उनका नाम अधिकारों के अभिलेख में दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इस तरह, वाद भूमि पर वादी-अपीलार्थी का अधिकार और स्वामित्व स्पष्ट हो गया। इसलिए, बिहार राज्य किसी भी तरह से कानून की किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना और मुआवजे के भुगतान के बिना उक्त भूमि पर दावा नहीं कर सकता है और उसके कब्जे को बाधित नहीं कर सकता है। नीचे की अपीलीय अदालतों ने पहली बार अदालत की डिक्री को उलटने में स्पष्ट रूप से कानूनी गलती की है क्योंकि समेकन अधिकारी का निर्णय और आदेश अंतिम और निर्णायक है और इसके विपरीत किसी भी निष्कर्ष को दर्ज करने के लिए खारिज या दरकिनार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब वादी-अपीलार्थी ने वाद भूमि पर अपने अधिकार और कब्जे को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किए हैं।

11. बिहार राज्य के विद्वान वकील ने बचाव पक्ष की स्थापना की कि सी. एस. पी. संख्या 332 की पूरी भूमि तालाब की भूमि है और यह वादी-अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित नहीं किया जा सकता है। उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, समेकन अधिनियम की धारा 37 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को देखते हुए, वादी-अपीलार्थी द्वारा दायर दीवानी मुकदमा स्वयं विचारणीय नहीं था और इसलिए नीचे की अपीलीय अदालतों ने निचली अदालत के आदेश को उलटने और मुकदमे को खारिज करने में गलती नहीं की है।

12. पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत जैसा कि ऊपर वर्णित है, हमारे विचार के लिए जो विवादास्पद प्रश्न उत्पन्न होता है वह हैःचाहे समेकन अधिनियम की धारा 37 के तहत लगाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, समेकन प्राधिकरण का आदेश जो वाद भूमि पर वादी-अपीलार्थी के अधिकार की पुष्टि करता

है और समेकन अधिनियम की धारा 10 (बी) के तहत अधिकारों के रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज करने का निर्देश देता है, दीवानी न्यायालय द्वारा उलटे या नजरअंदाज किया जाने के लिए उत्तरदायी है।

13. समेकन अधिनियम के प्रावधानों के सरल पठन से पता चलता है कि राज्य सरकार के गाँव(गाँवों) में एकीकरण की योजना लाने के अपने इरादे की घोषणा करने पर और समेकन कार्य की समाप्ति तक, प्रत्येक गाँव के अधिकारों और गाँव के मानचित्रों के अभिलेख को तैयार करने और बनाए रखने का कर्तव्य समेकन निदेशक द्वारा बनाया जाएगा और ऐसे क्षेत्र (क्षेत्रों) में किसी भी भूमि के संबंध में कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही किसी भी न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। समेकन अधिनियम भी समेकन संचालन के दौरान समेकन अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना अधिसूचित क्षेत्र के भीतर आने वाली भूमि के किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्तांतरण को रोकता है। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि समेकन क्षेत्र के संबंध में तैयार किए गए मानचित्र या रजिस्टर में की गई किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कोई भी प्रश्न, जिसे समेकन प्राधिकरणों के समक्ष उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था, को समेकन की कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में उठाने या सुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समेकन अधिनियम विशेष रूप से यह प्रावधान करता है कि भूमि रजिस्टर में दर्ज किसी भी अधिकार या हितों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों और हस्तांतरण से संबंधित सभी मुद्दों को निर्धारित समय के भीतर समेकन अधिकारी के समक्ष उठाया जा सकता है और इस संबंध में विवादों पर एक बार निर्णय लेने के बाद विवादों को रजिस्टर के प्रकाशन पर फिर से नहीं खोला जा सकता है।

14. समेकन अधिनियम की धारा 37 दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करती है और यह निम्नानुसार हैः

> "कोई सिविल न्यायालय इस अधिनियम के तहत दिए गए या पारित किए गए किसी भी निर्णय या आदेश को किसी अन्य मामले के संबंध में, जिसके लिए इस

अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी, किसी भी वाद या आवेदन पर परिवर्तन करने या खारिज करने हेतु विचार नहीं करेगा।

15. संक्षेप में, समेकन अधिनियम की योजना में यह प्रावधान है कि समेकन के तहत भूमि में सभी अधिकार, यदि कोई हों, तो समेकन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और इसके तहत अधिकारों के रजिस्टर का सार्वजनिककरण अंतिम और निर्णायक होगा और इसे बाद के किसी भी चरण में विवादित नहीं किया जा सकता है। समेकन के तहत भूमि पर अधिकारों का उपरोक्त निर्णय विशेष रूप से दीवानी न्यायालय द्वारा निर्धारित पक्षों के अधिकारों, यदि कोई हो, के अधीन नहीं किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विधानमंडल ने अपने विवेक से किसी भी ऐसे मामले से निपटने के लिए एक अलग मंच का प्रावधान किया है जिसके लिए समेकन के क्रम में समेकन अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा सकता था या किया जाना चाहिए था और सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है।

16. समेकन अधिनियम की योजना के तहत, सांत्वना अधिकारी कुछ आकस्मिकताओं को छोड़कर समेकन के तहत भूमि पर स्वामित्व के मुद्दे से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। इस प्रकार, समेकन प्राधिकरणों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 32,226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं। दूसरे शब्दों में, समेकन प्राधिकरणों के पास मानित न्यायालयों का दर्जा होता है और उनके पास भूमि के समेकन पर पक्षों के अधिकारों और स्वामित्व पर निर्णय लेने के लिए दीवानी न्यायालयों के समान शक्तियां होती हैं और साथ ही, दीवानी न्यायालय के न्यायशास्त्र को भी हटाने का।

17. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि राजस्व प्रविष्टियाँ स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं और आम तौर पर भूमि में स्वामित्व प्रदान या समाप्त नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी, जहां राजस्व प्राधिकरण या समेकन प्राधिकरण दीवानी न्यायालयों के सद्श शक्तियों का प्रयोग करके पक्षों

के अधिकारों को निर्धारित करने में सक्षम है, तो ऐसे प्राधिकरणों द्वारा दिए गए किसी भी आदेश या प्रविष्टि का, जो अंतिमता प्राप्त करता है, सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

18. इस मामले में, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि आर. एस. पी. संख्या 821 का 0.32 दशमलव ग्राम किशनपुर, जिला सीतामढ़ी, बिहार में स्थित, पूर्व जमींदार राम-भाटी-कुवर ने मक्खन सिंह के पक्ष में पट्टा (पट्टा विलेख) के माध्यम से सुलझा लिया था, जिसका निष्पादन विवाद में नहीं है। उक्त माखन सिंह ने वादी-अपीलार्थी को दिनांक 27.05.1957 (ई एक्स एच-2) के विलेख के माध्यम से गोद लिया। चकबंदी अधिकारी, बाथनाहा (एक्सएच-7) के आदेश से पता चलता है कि वादी-अपीलार्थी ने 1979 के वाद सं. 11 को समेकन अधिनियम की धारा 10 (बी) के तहत दायर किया था ताकि मुकदमे की भूमि के संबंध में प्रविष्टि में सुधार किया जा सके और समेकन अधिकारी ने दस्तावेजों और प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के आधार पर दिनांकित 12.11.79 के आदेश के माध्यम से आदेश दिया कि वादी-अपीलार्थी माखन सिंह का गोद लिया हुआ पुत्र है; कि वह मुकदमे की भूमि के कब्जे में है और कोई ग्रामीण या किसी अन्य पक्ष को कोई आपत्ति है यदि वह उसके नाम में दर्ज है। समेकन अधिकारी ने उस पट्टा का भी उल्लेख किया जिसके द्वारा उक्त भूमि का निपटारा माखन सिंह के पक्ष में किया गया था और गोद लेने के विलेख में वादी-अपीलार्थी का नाम अधिकारों के अभिलेख में दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

19. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सांत्वना की कार्यवाही बंद होने के बाद जब वादी-अपीलार्थी के कब्जे में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया गया, तो वह समेकन अधिकारी के आदेश की अंतिमता की परवाह किए बिना उक्त भूमि पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर हुआ। उक्त मुकदमे में कार्रवाई का कारण समेकन कार्यवाही के बंद होने के बाद उत्पन्न कार्रवाई का एक नया कारण था। उक्त मुकदमे में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया था, न तो कोई लिखित बयान दायर किया गया था और न ही उसकी ओर से कोई सबूत पेश किया गया था। प्रथम दृष्टांत की अदालत ने वादी-

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक दोनों साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का फैसला सुनाया और उसे मुकदमे की भूमि का मालिक माना।

20. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वाद भूमि पर पक्षों के अधिकारों को समेकन अधिकारी द्वारा दिनांकित 12.11.1979 के आदेश पारित करने पर स्पष्ट किया गया जो अंतिम और निर्णायक बन गया। बिहार राज्य ने उक्त आदेश को कभी चुनौती नहीं दी। यह ऐसा मामला नहीं है कि उपरोक्त आदेश तथ्यों को छिपाकर या समेकन अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी करके प्राप्त किया गया है। बिहार राज्य किसी भी समय किसी भी मंच या तो समेकन अधिकारियों या दीवानी न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा करने के लिए आगे नहीं आया, बल्कि वादी-अपीलकर्ता को एकीकरण प्राधिकरणों द्वारा अपने अधिकारों की मान्यता के बावजूद दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जब वादी-अपीलार्थी के अधिकारों को समेकन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित और मान्यता दी गई है, तो वादी-अपीलार्थी के पक्ष में उस प्रभाव के लिए समेकन अधिकारी के आदेश को दीवानी न्यायालय द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। समेकन अधिकारी द्वारा निर्धारित अधिकारों के संबंध में दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को समेकन अधिनियम की योजना द्वारा निहित रूप से बाहर रखा गया है। नीचे के अपीलीय न्यायालय समेकन अधिकारी के आदेश को अन्यथा खारिज करने में पूर्णरुपेण त्रुटियां हुई जो वाद भूमि के संबंध में अधिकारों के बारे में पवित्र था।

22. जहां तक समेकन अधिनियम की धारा 37 द्वारा अधिरोपित दीवानी न्यायालय की रोक का संबंध है, उक्त प्रावधान के एक सादे अध्ययन से पता चलता है कि दीवानी न्यायालय को उस मामले के संबंध में अधिनियम के तहत पारित समेकन न्यायालय के किसी भी निर्णय या आदेश को बदलने या खारिज करने के लिए किसी भी मुकदमे पर विचार करने से

प्रतिबंधित किया गया है, जिसके लिए समेकन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती थी या की जानी चाहिए थी।

23. तत्काल मामले में, वादी-अपीलार्थी ने समेकन अधिनियम के तहत समेकन न्यायालय द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश को बदलने या रद्द करने के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया है। वादी-अपीलार्थी ने केवल समेकन न्यायालय द्वारा उसे प्रदान किए गए अधिकारों को मान्यता देने के लिए एक मुकदमा दायर किया था और अधिनियम के तहत समेकन न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश को चुनौती देने वाला मुकदमा दायर नहीं किया है। अतः, दीवानी न्यायालय द्वारा अधिरोपित अधिकारिता का धारा 37 द्वारा अवरोध वर्तमान वाद पर लागू नहीं होती है जो समेकन न्यायालय के आदेश के आधार पर वाद भूमि पर उसके अधिकारों की घोषणा के लिए एक सरलीकरण है।

24. तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भले ही वादी-अपीलकर्ता की ओर से वाद भूमि पर अपने अधिकारों की घोषणा के लिए कोई दीवानी मुकदमा दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस पर उसके अधिकार समेकन न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.1979 के आदेश द्वारा निर्धारित किए गए थे, फिर भी, उसके द्वारा दायर एक मुकदमा समेकन अधिनियम की धारा 37 द्वारा वर्जित नहीं है, क्योंकि यह समेकन अधिनियम के तहत समेकन न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश को चुनौती देने का प्रस्ताव नहीं करता है।

25. इस प्रकार, उपरोक्त पैराग्राफ 12 में बनाए गए प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि भूमि के संबंध में अधिकारों की घोषणा के लिए एक दीवानी मुकदमा जहां समेकन न्यायालय पहले ही एक पक्ष के अधिकारों को मान्यता देते हुए एक आदेश पारित कर चुका है, समेकन अधिनियम की धारा 37 द्वारा वर्जित नहीं है और यह कि दीवानी न्यायालय समेकन अधिकारी द्वारा पारित आदेश के एक बार अंतिम रुप ले लेने पद इन अधिकारों की अनदेखी करने या उन्हें उलटने

26. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलीय न्यायालयों के दिनांक 20.10.2011 एवं 14.07.2008 के विवादित निर्णयों और आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और पहली बार वाले न्यायालय के दिनांकित 04.07.2006 के आदेश को बहाल कर दिया जाता है। नतीजतन, वादी-अपीलार्थी के मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है।

27. अपील की अनुमति लागत के रूप में बिना किसी आदेश के दी जाती है।

.....न्यायाधीश

(पंकाज मिट्ठल)

.....न्यायाधीश

(प्रसन्न भालचंद्र वराले)

नई दिल्ली;

01 मई, 2024

[1] इसके बाद इसे समेकित अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।